रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112026-277891
CG-DL-E-13112026-277891

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5957] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2026/कार्तिक 22, 1948
No. 5957] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2026/KARTIKA 22, 1948

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2026

का.आ. 6196(अ).— केंद्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'वस्तु व्यापार संविदा' को वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित करती है|

स्पष्टीकरण,- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,

(क) "वस्तु" से प्रत्येक विवरण का माल अभिप्रेत होगा, जो वितरित और व्यापार किये जाने योग्य है, किन्तु निम्नलिखित को अपवर्जित करती है : -

(i) कार्रवाई योग्य दावे, धन, मुद्रा, प्रतिभूतियां;

(ii) वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के अधीन सूचीबद्ध कोई भी प्रजाति या नमूने; और

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपस्कर और प्रौद्योगिकी के अधीन विनिर्दिष्ट कोई मदें;

(ख) "वस्तु व्यापार संविदा" से संविदा अभिप्रेत होगी, जिसके अधीन एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कोई इकाई किसी अन्य पक्षकार के साथ किसी वस्तु का व्यापार करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/15/2022- इ.म.]

आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2026

S.O. 6196(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby notifies 'commodity trading contract' as financial product.

Explanation. – For the purpose of this notification, –

(a) "commodity" shall mean goods of every description, which are capable of being delivered and traded, but excludes:-

(i) actionable claims, money, currency, securities;

(ii) any species or specimens listed under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; and

(iii) any items specified under Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies by the Central Government;

(b) "commodity trading contract" shall mean a contract under which a unit of an International Financial Services Centre trades a commodity with another party.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/15/2022-EM]

ALOK TIWARI, Jt, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA